न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद संख्या :– 3/2024

छीतरलाल पिता प्यारचंद जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत आंवलहेड़ा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

वादी

1. पन्नालाल पिता भूरा जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत आंवलहेड़ा तह0 बेगूँ
2. बंशीलाल पिता भूरा जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत आंवलहेड़ा तह0 बेगूँ
3. रतीन पुत्री प्यारचंद्र जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत आंवलहेड़ा तह0 बेगूँ
4. सोहनलाल पिता भूरा जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत आंवलहेड़ा तह0 बेगूँ
5. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 30.04.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा गणेपुरा पटवार हल्का आंवलहेड़ा की निम्न कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित दर्ज है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

(अ) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
63	185	0.6600
	38	0.0320
	78	0.1220
	कीता–3	रकबा 0.8170 हैक्टर

यह कि वाद पत्र की कलन संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में खाता संख्या 63 में वर्णित कृषि आराजीयात में चवादी का 1/8 हक हिस्सा निहित होकर मौके पर वादी अपने अपने निहित हक हिस्सानुसार काबि जोकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है। वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की अविभाजित भूमि है जिस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के भूमि का विधिवत बटवाडा नहीं होने से इनके मध्य आये दिन भूमि के हिस्से एवं लगान को लेकर लडाई झगडा व वाद विवाद होता रहा है। जिसके स्थायी समाधान हहेतु वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 01.01.2024 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात को विधिवत विभाजन कराने बाबत कहा किन्तु प्रतिवादीगण ने वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और विधिवत विभाजन कराने से इंकार हो गये, इसलिये वादी का यह वाद पत्र वर्णित कृषि का राजस्व रेकार्ड में हिस्सानुसार मौके पर कब्जा अनुसर काबिज अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके एवं राजस्व रेकार्ड में विभाजन किये जाने के लिए वादी का यह वाद पत्र बाबत बंटवाडा हेतु प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 01.01.2024 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय बेगूँ तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन करा लेने की कहने पर वादी को प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। कृषि आराजीयात मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का आंवलहेड़ा में स्थित होने से वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान आप को होने से वादीगण का वाद श्रीमान के यहा पेश है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते हैः—

कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूं में स्थित आराजी संख्या 185 रकबा 0.6630 हैक्टर, आराजी संख्या 38रकबा 0.0320 हैक्टर, आराजी संख्या 78 रकबा 0.1220 हैक्टर कुल कीता—3 कुल रकबा 0.8170 हैक्टर भूमि में राजस्व रेकार्ड में वादी का निहित हक हिस्सा 1/8 और मौके पर वादी का कब्जानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके पर व राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के फरमाया जावें।

(ख) कि बाद विभाजन राजस्व रेकार्ड में किये गये मौके पर बंटवाडा अनुसार वादी का खाता प्रतिवादीगण से प्रथक प्रथक दर्ज किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें।

(ग) कि वाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तत होने पर वाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रकरण मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 न्यायालय मे उपस्थित आए तथा उनके द्वारा वादपत्र का जवाब वादी के पक्ष मे ईकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौका एवं रेकार्ड के अनुसार बंटवाडा किया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण 1 से 4 का ईकबालिया जवाब प्रस्तुत होने व भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाव नहीं प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली में वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी छीतरलाल के प्रस्तुत कर मुख्य परीक्षण में वादी के बयान कलमबद्ध कराये गये तथा वादी द्वारा दावा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। वादी साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण मे एक तरफा वहस अधिवक्ता वादी की ध्यानपूर्वक सुनी गई जिन्होने अपनी बहस वादपत्र व दस्तावेज के अनुसार करते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विभाजन किये जाने की प्राथमिक डिक्री वादी के पक्ष में दिये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया।

बहस सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श—1 व नक्शाट्रेस प्रदर्श— 2 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का हिस्सा अन्य सहखातदेरान के साथ 1/8 हिस्सा दर्ज अंकित है, जिससे वादी अपने हिस्से का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का आंवलहेडा 185 रकबा 0.6630 हैक्टर, आराजी संख्या 38रकबा 0.0320 हैक्टर, आराजी संख्या 78 रकबा 0.1220 हैक्टर कुल कीता—3 कुल रकबा 0.8170 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का हिस्स जमाबंदी में अंकितानुसार रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वर्णित कृषि आराजीयात का कब्जानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/— कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देश दिये जाते है कि वादी से कमिश्नर शुल्क वसूल कर आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय को भिजवावें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/राजस्व(कोर्ट) /2025/254 दिनांक 22.04.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा वहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द वंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...अत वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा ... अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा गणेशपुरा पटवार ... आवलहेडा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- श्री छीतरलाल पिता प्यारचन्द भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
185 मे	0.102	बंजड	0.19
कीता- 01	0.102 हैक्टर		0.19

2- श्री पन्नालाल पुत्र भूरा 2/7 बंशीलाल पुत्र भूरालाल 3/7 सोहनलाल पुत्र भूरा 2/7 भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
185	0.081	बंजड	0.15
185 मे	0.480	बंजड	0.89
38	0.032	बंजड	0.06
78	0.122	माल2	0.83
कीता- 04	0.715 हैक्टर		1.93

वर्तमान जमाबंदी मे प्रतिवादी सं. 03 रतनी पुत्री प्यारचंद का नाम नही है एंव इसका हिस्सा सहखातेदार बंशीलाल के नाम दर्ज होने से विभाजन प्रस्ताव इसी अनुसार किया गया।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूं

मूल वाद में प्रारंभिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद संख्या :- 3/2024

छीतरलाल पिता प्यारचंद जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत ओडलखेड़ा
तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़
वादी

बनाम

1. पन्नालाल पिता भूरा जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत ओडलखेड़ा तह0 बेगूं
2. बंशीलाल पिता भूरा जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत ओडलखेड़ा तह0 बेगूं
3. रतनी पुत्री प्यारचंद जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत ओडलखेड़ा तह0 बेगूं
4. सोहनलाल पिता भूरा जाति भील निवासी गणेशपुरा पंचायत ओडलखेड़ा तह0 बेगूं
5. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष प्रारंभिक निस्तारण हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा प्रार्थमिक डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का ओडलखेड़ा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- श्री छीतरलाल पिता प्यारचन्द भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
185 में	0.102	बंजड	0.19
कीता- 01	0.102 हैक्टर		0.19

2- श्री पन्नालाल पुत्र भूरा 2/7 बंशीलाल पुत्र भूरालाल 3/7 सोहनलाल पुत्र भूरा 2/7 भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
185	0.081	बंजड	0.15
185 में	0.480	बंजड	0.89
38	0.032	बंजड	0.06
78	0.122	माल2	0.83
कीता- 04	0.715 हैक्टर		1.93

वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 03 रतनी पुत्री प्यारचंद का नाम नही है एंव इसका हिस्सा सहखातेदार बंशीलाल के नाम दर्ज होने से विभाजन प्रस्ताव इसी अनुसार किया गया।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/273 दिनांक :- 6-5-25

वाद संख्या 03/2024 व अनवान छीतर बनाम पन्नालाल वगै. वाद अ.धा. 53 राज0काश्त अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाती हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं
बेगूं (चित्तौड़गढ़)